

B4131661

R.S. POLYCLINIC & DIAGNOSTIC CENTRE

Near Post Office, Tatibandh, Raipur - 492 099 (C.G.) Ph. No. 4070546, 6261878502

डॉ. रूपांती वर्मा, एम.बी.बी.एस., एम.डी., C.I.M.P.

प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ

Reg. No. CGMC/1723/2008

Time : 11.00 AM - 1.30 PM & 6.00-8.00pm

**डॉ. संजय वर्मा**, एम.बी.बी.एस., एम.डी., F.I.C.P.

मेडिसिन विशेषज्ञ

Reg. No. CGMC/1722/2008

Time : 7.00 - 7.30 AM, 2.00 to 2.30 PM & 6-8 PM

उपलब्ध सुविधाएँ : सोनोग्राफी, ईकोकार्डियोग्राफी, ई.सी.जी., नेबुलाइजर, प्रसूति, निहसंतानता, ऑपरेशन
हृदय रोग, डाईबीटिस रोग संबंधी जाँच एवं इलाज

छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारीयों के उपचार (प्रसूति एवं स्त्री रोग) हेतु मान्यता प्राप्त ।

- L.M.P.

- E.D.D.

- PARA

- Abortion

- TT - I / II

ADVISED

CBC, ESR

Blood Group & Rh

Blood Sugar F/PP/R

Sickling

Blood Urea

Sr. Creatinine

Sr Uric Acid

L. F. T. / R.F.T.

Lipid Profile

Sr. Electrolytes

VDRL

T3T4TSH

HIV/HBsAg/HCV

RAFactor/AntiCCP

ANA/CRP

HbA1C / Sr vita D3

P.T. / INR

PS For MP/ Widal

Urine R/M

UACR

TORCH test

USG / ECHO/ECG

CPK-MB / Trop-T

X-Ray / C.T./ MRI

रविवार (केवल अपाईटमेंट द्वारा)

Ms. Keshari Dewangan 22yrs/F

D/O - Dhalaram Dewangan

Lis Fibroid uterus.

Myomectomy done, on 31/12/25.

Tissue send for H&E.

R.S. POLYCLINIC & DIAGNOSTIC CENTRE
TATIBANDH, RAIPUR (C.G.)

उपरोक्त प्रिस्क्रिप्शन दिनांक तक के लिये वैध है।

..... दिन बाद दिखाने आए, यह परचा साथ में जरूर लावें, CONSULT SOS/NOT FOR MEDICO LEGAL USE/SUBJECT TO RAIPUR JURISDICTION

1. रोग की अवस्था, जोखिम एवं परिणाम के बारे में हमें हमारी भाषा में बताया गया है।
2. उपचार के दौरान खान-पान एवं परिणाम के बारे में दी गई सलाह का कड़ाई एवं नियमित रूप से पालन करें एवं समय पर चेक अप हेतु आएं।
3. परामर्श/उपचार के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की तकलीफ या प्रबलम होने पर सम्बंधित चिकित्सक की जानकारी में लावें।
4. जो फीस ली जाती है वह संभावित उपचार एवं परामर्श हेतु हैं, उसका तात्पर्य किसी किस्म की गारंटी नहीं है और न ही किसी किस्म की सुविधा उपलब्ध कराने से है।
5. आवश्यकतानुसार उच्च एवं सुपर स्पेशलिटी संस्था में जाने की सलाह दी जा सकती है।
6. आराम या संतोष न होने पर किसी भी समय चिकित्सक या चिकित्सालय बदलने को स्वतंत्र हैं।
7. मेडिको लेगल कार्य एवं सीइम्बुसेमन्ट हेतु नहीं हैं।
8. फालो अप जांच सलाह के अनुसार अवश्य करवाएं।
9. चिकित्सक से संपर्क न हो पाने की स्थिति में निकटतम अन्य चिकित्सक से सलाह लें।